संख्या-3/2021/4764/96-आयुष-1-2020-551/2012

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 05 जनवरी, 2021**

विषय- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ से संबद्ध चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-295/332/योजना/2019-20; दिनांक 01.11.2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-14252/71-आयुष-1-2015-551/2012, दिनांक 25.03.2015 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0-4724.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-1721.918 लाख, शासनादेश संख्या-3/2017/4385/71-आयुष -1-2016-551/2012, दिनांक 09.03.2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-500.00 लाख, शासनादेश संख्या-1/2018/190/96-आयुष-1-2018-551/2012, दिनांक 20.02.2018 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-1200.44 लाख तथा शासनादेश संख्या-17/2019/496/96-आयुष-1-2019-551/2012, दिनांक 15.03.2018 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0-1094.18 लाख अवमुक्त किया गया, कुल धनराशि रू0-4516.538 लाख अवमुक्त किया गया था। शासन के पत्र संख्या-28/2019/6072/96-आयुष-1-2019-551/2012, दिनांक 10.12.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-5823.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में धनराशि रू0-492.752 लाख, कुल धनराशि रू0-5009.29 (रूपया पांच करोड नौ लाख उन्तीस हजार मात्र) अवमुक्त की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत प्रश्नगत प्रायोजना हेतु षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0-499.454 लाख अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, आयुर्वेद सेवायें तथा संबंधित प्रधानाचार्य की है।
2- आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रायोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।

5- परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, अयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 का होगा।

6- परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।

9- प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य हैं एवं इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा निदेशक आयुर्वेद सेवायें उ0प्र0 द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

10- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

11- प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

12- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

13- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

14- सम्बन्धित परियोजनाओं के ऑगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

15- वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.8.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

17- अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।

18- निदेशक आयुर्वेद सेवायें उ0प्र0, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19- षष्ठम् किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आई0आई0टी0 की गुणवत्ता रिपोर्ट एवं निदेशक/प्राचार्य द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात ही अग़ली किश्त निर्गत की जायेगी।

20- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित प्राचार्य द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 एवं 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- शासनादेश संख्या-14252/71-आयुष-1-2015-551/2012, दिनांक 25.03.2015, शासनादेश संख्या-3/2017/4385/71-आयुष-1-2016-551/2012, दिनांक 09.03.2017, शासनादेश संख्या-1/2018/190/96-आयुष-1-2018-551/2012, दिनांक 20.02.2018, शासनादेश संख्या-17/2019/496/96-आयुष-1-2019-551/2012, दिनांक 15.03.2018 एवं शासनादेश पत्र संख्या-28/2019/6072/96-आयुष-1-2019-551/2012, दिनांक 10.12.2019 की शर्तें यथावत रहेंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210-**चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **01-**शहरी स्वास्थ्य सेवायें, **800-**अन्य व्यय, **05-**आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल, **00** के मानक मद **24-**वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2021/4764(1)/96-आयुष-1-20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in